यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर, खंण्ड-9, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर, खंण्ड-9, देहरादून के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री कलन्त सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री एम.के.सिसोदिया, पर्यवेक्षक एवं मो0 सलीम खान, वरि. लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 31.07.2020 से 13.08.2020 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1 परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रमेश कुमार केशरी एवं श्री अनूप कुमार गुप्ता सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 29.02.2020 से 13.03.2020 तक श्री हिमांशु मणि वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी थी। जिसमे राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी एवं व्यय हेतु माह -- से -- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः - चकराता रोड, जी एम एस रोड (बांयी तरफ), सहारनपुर रोड (दायी तरफ)**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

(₹ लाख मे)

वर्ष	**अर्जित राजस्व**
2017-18	3587.24
2018-19	2008.25
2019-20	2493.50

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत

है: (₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना (Plan)**		**गैर स्थापना (Non Plan)**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	स्थापना ()	**गैर स्थापना ()**	**आवंटन ()**	**व्यय ()**	**आवंटन ()**	**व्यय ()**		
		शून्य						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+)₹	बचत (-)₹
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई 'A' श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव, वित्त **>** आयुक्त कर, वाणिज्य कर**>** ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर**>** डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर**>** सहायक आयुक्त , वाणिज्य कर**>** वाणिज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर, खंण्ड-9, देहरादून** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर, खंण्ड-9, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व: दैनिक संग्रह नहीं है, विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: आहरण वितरण का कार्य नहीं है, को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) **योजना का चयन :-** कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

प्रस्तर- 1 : फार्म 8 के अभाव में कर का लाभ दिया जाना रू0 2.09 लाख।

प्रस्तर- 2 : विलम्ब से जमा कर पर अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 2.34 लाख।

प्रस्तर- 3 : कर का अनारोपण ₹ 0.77 लाख।

प्रस्तर- 4 : कर का अनारोपण ₹ 0.35 लाख।

व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

शून्य

भाग दो (ब)

प्रस्तर- 1 : फार्म 8 के अभाव में कर का लाभ दिया जाना रू0 2.09 लाख।

कटौती के लिये जिम्मेदार है,उस ब्यौहारी अथवा व्यक्ति,जिससे कर की कटौती की गयी है, को प्रारूप 8 में वित्तीय वर्ष की प्रत्येक उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियमावली 2005 के नियम 21 के उपनियम (6) के अनुसार (क)प्रत्येक टीडैन/टिन धारक ब्यौहारी अथवा व्यक्ति, जो धारा 35 के प्राविधानों के अनुसार स्रोत पर कर तिमाही के लिये कर कटौती की गयी धनराशि के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र जारी करेगा। (ख)यह प्रारूप दो प्रतियॉ में कएक निर्धारण प्राधिकारी द्वारा स्रोत पर कर कटौती करने लिये दायी ब्यौहारी अथवा व्यक्ति को जारी किया जायेगा। ऐसा ब्यौहारी अथवा व्यक्ति उस ब्यौहारी अथवा व्यक्ति जिससे कर की कटौती की गयी है, को मूल प्रति जारी करेगा। (ग) ऐसा प्रमाण–पत्र की मूल प्रति प्राप्त होने पर कर निर्धारण प्राधिकारी उस धनराशि को उस ब्यौहारी अथवा व्याक्ति द्वारा जमा किया **क्षसमेगा** जिसके पक्ष में प्रमाण–पत्र जारी किया गया है बशतें कि प्रमाण–पत्र पूर्ण है और ब्यौहारी अथवा व्याक्ति का टीडैन एवं ब्यौहारी अथवा व्यक्ति जिससे कि कटौती की गयी है,का टिन स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।

कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर कर निर्धारण खण्ड –9 देहरादून फर्म सर्व श्री बिल्डटैक इन्जीनियर्स एण्ड बिल्डर्स टिन सं0 05013522213 (वर्ष 2016–17) को जारी कर आदेश सं0 1109 दिनांक 12.9.2018 का अवलोकन करने पर पाया गया कि व्यापारी द्वारा संगत वर्ष के दौरान कुल रू0 1,04,62,650.00 का भुगतान संविदी विभाग Garhwal Rifels Regiments Lansdown,Garhwal से संविदाकार को प्राप्त होना बताया गया है। जिसके सापेक्ष संविदी विभाग द्वारा 2 प्रतिशत टी0डी0एस0 रू0 2,09,253.00 कटौती करने के रूप में भी किया होना दर्शाया गया हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त नियम 21 (6) के अनुसार पत्रावली में संविदी विभाग द्वारा संविदाकार को भुगतान की गयी धनराशि रू0 1,04,62,650.00 पर 2 प्रतिशत की दर से काटी गयी टी0डी0एस0 की धनराशि रू0 209253.00 का फार्म 8 जो संविदी विभाग द्वारा जारी किया जाना था, पत्रावली में संलग्नक नही था। इसलिये व्यापारी पर रू0 209253.00 समाधान शुल्क आरोपणीय होना था।

इस संबंध में इंगित किये जाने पर ईकाई द्वारा अपने उत्तर तथा उपलब्ध कराये गये अभिलेखो की पुनः जॉच में पाया गया कि गढवाल राईफल्स रेजीमेन्ट सेन्टर (जी0आर0आर0सी0) लैन्सडाउन जिला पौडी गढवाल द्वारा वर्क ऑडर मैसर्स Zanders

Engineers Ltd के साथ किया गया था। जो सर्व श्री बिल्डटैक इन्जीनियर्स एण्ड बिल्डर्स टिन सं0 05013522213 द्वारा दर्शायी गयी धनराशि रू0 8,25,00,000.00 का ही था। साथ ही ईकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि नियमानुसार 2 प्रतिशत समाधान राशि जमा की गयी है, एवं उसके सत्यापन हेतु व्यापारी द्वारा जारी बिल एवं इनकम टैक्स का ऑनलाइन टी0डी0एस0 सार्टिफिकेट 26ए एस की प्रति संलग्न की जा रही है। तथा संलग्न प्रति सर्व श्री बिल्डटैक इन्जीनियर्स एण्ड बिल्डर्स टिन सं0 05013522213 की ना होकर मैसर्स Zanders Engineers Ltd की है।

विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा में मान्य नही है, **विभाग द्वारा प्रस्तुत टी.डी.एस. प्रमाण पत्र 26 ए.एस. से संविदाकार को ₹ 1,04,62,650/- को भुगतान तो प्रमाणित होता है। परन्तु 2% की दर से काटी गयी टी.डी.एस. की धनराशि ₹ 209253/- के जमा होने का प्रमाण विभाग द्वारा नही दिया गया था।**

अतः ब्यौहारी सर्व श्री बिल्डटैक इन्जीनियर्स एण्ड बिल्डर्स टिन सं0 05013522213 के फार्म 8 के अभाव में रू0 2,09,253.00 का कर आरोपणीय था, **अतः** प्रकरण उच्चाधिकारियो के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2 "ब"</u>

प्रस्तर- 2 : विलम्ब से जमा कर पर अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 2.34 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियमावली- 2005 के नियम-11 के अनुसार कोई व्यापारी जिसका पूर्ववर्ती वर्ष में सकल आवर्त 50 लाख से अधिक है, उसे उत्तरवर्ती माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान ई-पेमेंट द्वारा करना है एवं जिसका सकल आवर्त 50 लाख तक है, उसे अगले त्रैमास के उत्तरवर्ती माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान करना है।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-58(1)(vii) के अन्तर्गत यदि किसी व्योहारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर राजकोष में जमा नहीं किया गया है तो वह अर्थदण्ड के रूप में:

(i) यदि विलम्ब 01 माह तक हो तो देय कर का 5% का दायी होगा (31.03.2015 से)
(ii) यदि विलम्ब 01 माह से अधिक हो तो देय कर ₹ 20 हजार तक हो तो वह देय कर का कम से कम 10 प्रतिशत एवं अधिक से अधिक 20 प्रतिशत और यदि विलम्ब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर ₹ 20 हजार से अधिक हो तो वह देय कर का कम से कम 20 प्रतिशत एवं अधिक से अधिक 30 प्रतिशत का दायी होगा।

कार्यालय सहा॰ आयुक्त (क॰नि॰), खण्ड-9, राज्य कर, देहरादून की लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण वादों की नमूना जाँच में पाया गया कि निम्न व्यौहारियों द्वारा अपना स्वीकृत कर विलम्ब से जमा कराया था, जिस पर नियमानुसार अर्थदण्ड आरोपणीय था:

व्यापारी का नाम/टिन सं.	अवधि		कर जमा करने की वास्तविक तिथि	जमा तिथि	विलम्ब		कर की राशि (₹)	अर्थदण्ड %	अर्थदण्ड (₹)
	From	To			माह	दिन			
राम इंटरप्राइजेज़ (05011174716)	04/16	06/16	20.07.16	31.08.16	1	11	10393	10	1039
	07/16	09/16	20.10.16	09.01.17	2	19	9617	10	962
	10/16	12/16	20.01.17	03.03.17	1	13	10089	10	1009
	01/17	03/17	20.04.17	02.05.17	0	12	7361	5	368
अग्रवाल इंटरप्राइजेज़ (05007288702)	04/15	04/15	20.05.15	25.05.15		5	40108	5	2005
	06/15	06/15	20.07.15	21.07.15		1	43591	5	2180
	07/15	07/15	20.08.15	28.08.15		8	46942	5	2347
	09/15	09/15	20.10.15	21.10.15		1	62741	5	3137
	02/16	02/16	20.03.16	29.03.16		9	88600	5	4430
कृष्णा सेल्स (05016236758)	04/16	06/16	20.07.16	22.07.16		2	20996	5	1050
	07/16	09/16	20.10.16	25.10.16		5	109726	5	5486
	10/16	12/16	20.01.17	27.01.17		7	181272	5	9064
	01/17	03/17	20.04.17	09.05.17		19	134196	5	6710
सिनेमा वेंचर्स (05015649035)	04/15	06/15	20.07.15	26.02.16	7	6	119365	20	23873
	08/15	08/15	20.09.15	21.09.15		1	102975	5	5149
	10/15	10/15	20.11.15	29.12.15	1	9	145734	20	29147
	02/16	02/16	20.03.16	22.03.16		2	95357	5	4768
सजवान मार्बल एंड हार्डवेयर (05000970898)	04/16	06/16	20.07.16	21.11.16	4		30980	20	6196
	07/16	09/16	20.10.16	06.01.17	2	16	50711	20	10142
	10/16	12/16	20.01.17	12.06.17	4	22	124800	20	24960
सन पार्क इन (05011943247)	07/16	09/16	20.10.16	24.10.16		4	39027	5	1951
	10/16	12/16	20.01.17	24.01.17		4	348226	5	17411
	01/17	03/17	20.04.17	25.04.17		5	218176	5	10909
आदि इंटेरनेशनल (05010864898)	04/16	06/16	20.07.16	28.07.16		8	45255	5	2263
	10/16	12/16	20.02.17	26.01.17		6	96620	5	4831
दिव्या गार्मेंट्स (05000320804)	01/17	03/17	20.04.17	24.04.17		4	83964	5	4198
विनायक मेडिकोज (05008927808)	10/16	12/16	20.01.17	25.01.17		5	15000	5	750
	01/17	03/17	20.04.17	17.06.17	1	27	6000	10	600
	01/17	03/17	20.04.17	27.10.17	6	7	30000	20	6000
	01/17	03/17	20.04.17	09.08.17	3	18	1800	10	180
साई फर्नीचर (05000969831)	04/16	06/16	20.07.16	27.07.16		7	177000	5	8850
	07/16	09/16	20.10.16	27.10.16		7	126000	5	6300
	10/16	12/16	20.01.17	27.01.17		7	402000	5	20100
	01/17	03/17	20.04.17	25.04.17		5	114000	5	5700
Total									**233865**

अतः उपरोक्तानुसार विलम्ब से कर जमा कराये जाने पर ₹ 233865.00 का अर्थदण्ड आरोपणीय था जो कि अधिरोपित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

<u>भाग 2 "ब"</u>

प्रस्तर- 3 : कर का अनारोपण ₹ 0.77 लाख।

उत्तराखण्ड मुल्य वर्जित कर अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार किसी व्यौहारी द्वारा अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किये गये प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कर आरोपित किया जायेगा तथा अधिनियम की धारा 58(1)(XIV) के अनुसार मिथ्या लेखा रजिस्टर या दस्तावेज रखा है या प्रस्तुत किया है। वो कर की इस धनिराशि का कम से कम 50 प्रतिशत किन्तु 200 प्रतिशत से अनधिक जो तद द्वारा परिवर्तित हो पायी, अर्थदण्ड का भागी होगा।

कार्यालय सहा॰ आयुक्त (क॰नि॰), खण्ड-9, राज्य कर, देहरादून की लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण वादों की नमूना जाँच में पाया गया कि:

(i) व्यौहारी सर्वश्री सजवान मार्बल एंड हार्डवेयर स्टोर (टिन: 05000970898), कर निर्धारण वर्ष 2016-17 का कर निर्धारण दिनाँक 09.10.2019 को किया गया था। व्यौहारी का व्यापार टीएमटी बार, सीमेंट आदि की खरीद बिक्री का है। व्यापारी की कर निर्धारण पत्रावली की जांच में पाया गया कि संगत वर्ष में व्यापारी के टीएमटी बार (5%) की स्थिति निम्नवत थी:

माल का विवरण	प्रा॰ रहतिया	खरीद	बिक्री	अंतिम रहतिया
टीएमटी बार	1060967	2871552	3467858	0

व्यापारी द्वारा टीएमटी बार की खरीद ₹ 2871552.00 पर ₹ 143578.00 का आईटीसी क्लेम किया गया था। व्यापारी द्वारा ₹ 3467858.00 की बिक्री की गयी थी जबकि उक्त माल की बिक्री निम्नवत होनी चाहिए:

बिक्री = प्रा॰ रहतिया + खरीद -अन्तिम रहतिया

= 1060967 + 2871552 - 0 = 3932519

चूँकि व्यापारी द्वारा ₹ 3467858.00 की बिक्री पर कर अदा किया जा चुका था अतः कम की गयी अंतरीय बिक्री ₹ 464661 (3932519 - 3467858) पर 5% की दर से ₹ 23233.00 का अतिरिक्त कर आरोपणीय होगा।

(ii) व्यौहारी सर्वश्री रजत गारमेंट, देहरादून (टिन: 05015004761), कर निर्धारण वर्ष 2015-16 का कर निर्धारण दिनाँक 17.06.2019 को किया गया था। व्यौहारी का व्यापार रेडीमेड गारमेंट्स आदि की खरीद

बिक्री का है। व्यापारी की कर निर्धारण पत्रावली की जांच में पाया गया कि संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा 5% के माल की दाखिल विवरण अनुसार व्यापारिक स्थिति निम्नवत थी:

प्रा॰ रहतिया	खरीद	बिक्री	अंतिम रहतिया
283420	951702	792745	986

व्यापारी द्वारा 5 प्रतिशत वाले माल की खरीद ₹ 951702.00 पर ₹ 47584.00 का आईटीसी क्लेम किया गया था। व्यापारी द्वारा ₹ 792745.00 की बिक्री की गयी थी जबकि उक्त माल की बिक्री निम्नवत होनी चाहिए:

बिक्री = प्रा॰ रहतिया + खरीद -अन्तिम रहतिया

= 283420 + 951702 - 986 = 1234136

चूँकि व्यापारी द्वारा ₹ 792745.00 की बिक्री पर कर अदा किया जा चुका था अतः कम की गयी अंतरीय बिक्री ₹ 441391 (1234136 - 792745) पर 5% की दर से ₹ 22070.00 का अतिरिक्त कर आरोपणीय होगा।

(iii) व्यौहारी सर्वश्री ईलाइट सोल्युशन एंड सर्विसेज, देहरादून (टिन: 05013642008), कर निर्धारण वर्ष 2016-17 का कर निर्धारण दिनाँक 28.11.2019 को किया गया था। व्यौहारी का व्यापार कंप्यूटर पार्ट्स आदि की खरीद बिक्री का है। व्यापारी की कर निर्धारण पत्रावली की जांच में पाया गया कि संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा 13.5% व 14.5% के माल की दाखिल विवरण अनुसार व्यापारिक स्थिति निम्नवत थी:

प्रा॰ रहतिया	खरीद	बिक्री	अंतिम रहतिया
375157 @ 13.5%	175433	178166	-
0 @ 14.5%	203737	346989	11139
Total	379170	525155	

व्यापारी द्वारा ₹ 525155.00 की बिक्री की गयी थी जबकि उक्त माल की बिक्री निम्नवत होनी चाहिए:

बिक्री = प्रा॰ रहतिया + खरीद -अन्तिम रहतिया

= 375157 + 379170 - 11139 = 743188.00

चूँकि व्यापारी द्वारा ₹ 525155.00 की बिक्री पर कर अदा किया जा चुका था अतः कम की गयी अंतरीय बिक्री ₹ 218033 (743188 - 525155) पर 14.5% की दर से ₹ 31614.00 का अतिरिक्त कर आरोपणीय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त प्रकरणों को इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

अतः धनराशि ₹ 76917/- के कर के अनारोपण तथा नियमानुसार अर्थदण्ड का प्रकरण उच्चधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

<u>भाग-2 'ब'</u>

प्रस्तर- 4 : कर का अनारोपण ₹ 0.35 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3(1) के अनुसार किसी व्यौहारी द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत कर आरोपित किया जायेगा। आगे, धारा 4 (2)(ख) के बिन्दु-आ के अनुसार अनुसूची-II(ख) में विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में 5 प्रतिशत तथा बिन्दु-इ के अनुसार अनुसूची-ई (ग) में विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में 13.5% की दर से कर देयता निर्धारित है। जिसमे उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 824/2016/13(120)/XXVII(8)/2016 दिनाँक 04.10.2016 द्वारा 01 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गयी थी।

अधिनियम की धारा-58(1) (V) के अनुसार आवर्त की मिथ्या विवरणी प्रस्तुत करने पर अर्थदण्ड ₹ दस हजार या अंतर्ग्रस्त कर की धनराशि जो भी अधिक हो, आरोपणीय होगा।

कार्यालय सहा॰ आयुक्त (क॰नि॰), खण्ड-9, राज्य कर, देहरादून की लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण वादों की नमूना जाँच में पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री भूमि ट्रेडर्स, इन्दिरा नगर (TIN: 05013689926), कर निर्धारण वर्ष: 2016-17 का कर निर्धारण दिनाँक 17.08.2019 को किया गया था। व्यौहारी द्वारा पाइप, स्टेशनरी, कंप्यूटर पार्ट्स, फर्नीचर, प्लान्ट सीड व खाद आदि की खरीद कर उसकी बिक्री का कार्य किया जाता है। व्यापारी की कर निर्धारण पत्रावली व कर निर्धारण आदेश की जांच में पाया गया कि संगत वर्ष में व्यापारी के कंप्यूटर पार्ट्स, स्टेशनरी आदि तथा फर्नीचर की व्यापारिक स्थिति निम्नवत थी:

माल का विवरण	**प्रा॰ स्टॉक**	**खरीद**	**बिक्री**	**अन्तिम स्टॉक**
पाइप, कंप्यूटर पार्ट्स, स्टेशनरी (05%)	14,830.00	1,53,720.66	82,530.00	31,035.16
फर्नीचर	6,33,900.25 @ 13.5%	528.00	4,96,210.00	00
	00 @ 14.5%	5,98,815.63 (4,37,530.63 + 1,61,285.00)	4,52,074.00	53,113.80

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि व्यापारी द्वारा 5% प्रतिशत दर से संबन्धित माल की ₹ 54,985.50 (₹ 1,37,515.50 - ₹ 82,530.00) की बिक्री कम प्रदर्शित की गयी थी।

इसी प्रकार व्यापारी द्वारा 13.5% दर से संबन्धित माल की ₹ 1,38,218.25 (₹ 6,34,428.25 - ₹ 4,96,210) की बिक्री कम प्रदर्शित की थी।

अतः उक्त कम प्रदर्शित बिक्री पर क्रमशः 13.5% की दर से ₹ 18,659.46 (₹ 1,38,218.25 x 13.5%), एवं 14.5% की दर से ₹ 13,576 (₹ 93627.83 x 14.5%), इस प्रकार कुल ₹ 34,984.46 कर आरोपणीय था जो कि नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त नियमानुसार अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया जायेगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-III 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-III 'ब' प्रस्तर संख्या	नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
RS/CT-130/17-18	-	01,02,03	
RS/CT-155/19-20	-	01,02,03,04	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर, खंण्ड-9, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**

टिप्पणी-

1. वापसी वादों की सूची लेखापरीक्षा उपरान्त प्रस्तुत की गई।
2. विगत वर्षो के प्रस्तरों की अनुपाल आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	सीमा आर्या	सहा. आयुक्त, राज्य कर

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV